राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/जॉच) विभाग

क्रमांक प–3(1)कार्मिक/क–3/2004 जयपुर, दिनांकः **29.06.2007**

समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिवगण,
समस्त संभागीय आयुक्तगण,
समस्त विभागाध्यक्षगण(जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य में मौसमी बीमारियों और मलेरिया की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग के प्रशासनिक तंत्र पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्मिक विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.08.2006 को जारी की गई है। इस अधिसूचना द्वारा संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य), निदेशक (परिवार कल्याण) को चिकित्साधिकारी, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ, प्रमुख चिकित्साधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य जिला स्तरीय राजसेवकगण के संदर्भ में तीन वार्षिक वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोके जाने तक की शक्तियॉ प्रदान की गई है, जो दिनांक 31.03.07 तक प्रभावी थी।

वर्तमान परिस्थितियॉ भी मौसमी बीमारियों के संदर्भ में पूर्व अनुसार ही है, अतः राज्य सरकार ने समसंख्यक आदेश दिनांक 29.06.2007 द्वारा पुनः अधिसूचना प्रसारित कर दी है, जो दिनांक 31.03.2008 तक प्रभावी रहेगी।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अधिकारी/राजसेवकगण का दुराचरण/गंभीर लापरवाही इस प्रकार की भी है कि उनका सार्वजनिक हित में निलम्बन किया जाना आवश्यक हो, तो भी उक्त अधिसूचना दिनांक 29.06.2007 द्वारा सशक्त किये गये प्राधिकारीगण उन्हें अपने स्तर पर निलम्बित नहीं करेंगें। इस संदर्भ में उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे अधिकारी/राजसेवकगण के अनुशासनिक प्राधिकारी को निलम्बन हेतु जॉच प्रस्तावों सहित प्रकरण तत्काल अग्रेषित करेंगें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सेवाओं के अधिकारीगण के लिए ऐसे प्रस्ताव अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जावें, जबकि अन्य अधीनस्थ सेवा/मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रस्ताव संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को।

अतः सभी संबंधितो को व्यादिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

शासन उप सचिव